(ग) जी, नहीं। व्यापक फसल बीमा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्रमुख लाभानुभोगियों में से एक है। योजना के क्रियान्वयन के लिए यूनिट क्षेत्र का फैसला उपज के आंकड़ों की उपलब्धता तथा प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम संख्या में फसल कटाई प्रयोग करने की क्षमता के अध्यधीन राज्य सरकार को करना होता है।

Sale of Free Sale Sugar

4272. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have put restrictions on the sale and despatch of free sale sugar by mills on weekly instead of fortnightly basis;

(b) if so, what were the reasons for taking such a decision and to what extent this decision will ensure that indigenous sugar is not held back by the mills;

(c) whether it is also a fact that to give a boost to sugar exports it has also been decided that public sector units like STC and MMTC would also undertake import of sugar udner OGL; and

(d) if so, to what extent these curbs imposed on free-sale sugar will help in reducing price of sugar and also in making sugar available freely?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) Weekly restrictions have been imposed to ensure uniform flow/ availability of sugar in the market at a reasonable price. Sugar factories are rquired to comply with this stipulation and any default in this regard would amount to contravention of the statutory orders.

(c) Sugar is beign imported by STC/ MMTC under OGL to meet the requirements of sugar for the Public Distribution System in the country.

(d) The various measures taken by Government, including weekly restrictions on sale and despatch of free sale sugar, have helped to augment availability of sugar and to reduce its price in the open market. The wholesale prices of S-30 grade of sugar in the four prinicipal markets of the country which were in the range of Rs. 1483 to Rs. 1630 per quintal on 19th May, 1994 have declined to the range of Rs. 1268 to Rs. 1385 per quintal as on 18-8-1994.

मध्य प्रदेश को खाद्यानों की आपूर्ति

4273. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य में जिलों में खाद्यानों की आपूर्ति किए जाने के लिए केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त मात्रा खाद्यान प्रदान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त वर्ष के दौरान राज्य की जिला-वार वास्तविक मांग कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से 38, 657 मीटरी टन खाद्यानों का अतिरिक्त आवंटन करने विषयक एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई, 1994 से मध्य प्रदेश को चावल और गेहूं, प्रत्येक का 7660 मीटरी टन प्रति मास अतिरिक्त आवंटन करने की इजाजत दी गई है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से खाद्यानों का आवंटन और अतिरिक्त आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सापेक्ष आवश्यकताओं, उठान की प्रवृत्ति, मौसमी उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किया जाता है। ये आवंटन समूचे राज्य के लिए होते हैं और अनिवार्य रूप से अनुपूरकस्वरूप के होते हैं और इनसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जाती है। राज्य के अन्दर उनके वितरण, जिसमें उनके क्षेत्र तथा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली मात्रा शामिल है, के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्णय और प्रबन्ध किया जाता है।

Distribution of Substandard Commodities by FCI

4274. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA: Will the Minister of FOOD be pleased to state: